/ 11 04	V-190/CR.J.(e)
GRPI-211-6L-11-94 SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF	Class made OD
in the court of Case No	omplaint or report made converse
गोहद, जिला-मण्ड (म.प्र.)	A
Name and address of the Complainant	E. Fazisi
Name, parentage, caste and a	ddress of accused
Name, parentage, caste and a	24 0450 140 (150) 500 200 20 91
	्र हुआशोवी नाम ने उन्ना आयोप स्त्री
के अपराध में सिख्तीम	The Manager of the Ma
THE VIEW BY THE SE WAS CO.	
The offence complaint of its alleged commission	· I MAIN DE DIE
आपने दिनांक रिगिंग को समय पर बिना	बजे स्थान
आपन दिनाकपर बिना	किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अधिपाना में रखा
0.000	का अपन आविष्यं
gas 100	क्रि आजाहा होकर दस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर	ति दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर	ति दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर संज्ञान में हैं।	ति दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर	ति दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर	पंकज शर्मा
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में हैं।	पंकज शर्मा जाधिक मिलस्टेट प्रथम श्रेणी
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर	पंकज शराव हापर रूप पंकज शर्मा न्याधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला—भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में हैं।	पंकज शर्मा जाधिक मिलस्टेट प्रथम श्रेणी
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर संज्ञान में है।	पंकज शर्मा स्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में है। The plea of the accused and his examiination (पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्याधिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में है। The plea of the accused and his examiination (पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्याधिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर संज्ञान में है।	पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्याधिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में है। The plea of the accused and his examiination (पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्याधिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में है। The plea of the accused and his examiination (पंकज शर्मा च्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर संज्ञान में है। The plea of the accused and his examiination (पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्याधिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(नि र्ण य)

(आज दिनांक कि धोषित)

The state of accused of the state of accused of the state
1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा अप कार्य कार्य के
अपराध के आरोप है।
3 आरोपी/गण की स्वेच्छा आमस्यापृत्ति के अपराध में सिद्धदोष
उहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए प्यापार । अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा
को <u>डिड</u> अर्थदण्ड से दिग्डत किया जाता होगा। में <u>डि</u> दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा। 4. प्रकरण में जब्तशुदा <u>डिड</u>
4. प्रकरण में जब्तशुदा

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मिर्जिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यगोहदाजिला भिण्ड पथम श्रेणी गोहद, जिलाना नण्ड (म.प्र.) मेरे निर्देश पर टाईप किया।

पंकर्ण प्रथम श्रेणी स्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहसोहद जिला मिण्ड (म.प्र.)